

अन्तिम निर्णय पारित किया गया जो
दोनों ही कलज-कलज प्रतीत होते हैं।
पञ्चावली में जोरिए जारी कर दिनांक
19-9-2019 को अन्तिम निर्णय पारित किया
गया जो लगभग प्रतिया एक रुपता के
तहत कार्यवाही नहीं कि गई है। इस आधार
पर मजिल कपीलान्ट हवीकार कि जाकर
तहसीलदार श्रीमाधोपुर डारा दिनांक 19/9/19
को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत
होगा है। अतः उपरोक्त विवेचन के

आधार पर मजिल कपीलान्ट हवीकार
की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार
श्रीमाधोपुर के मु० न० 97/2018 उनवामी
सरकार बनाम अंडर सिट में दिनांक 19-9-19
को पारित आदेश अपास्त किया जाता
है। कपील कपीलान्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर
को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि
जाती है कि मोके पर सही नाप जोख
की जाकर एवं कपीलान्ट को दुनवाई
का पूर्ण अवसर दिया जाकर पञ्चावली
में पुनः निर्णय पारित कोटे। निर्णय कि
पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को
निर्णय कि प्रति तहसीर के साथ भेजी जाए
पञ्चावली फैलल शुमार होकर नम्बर से कम
होकर दायित्व दफ्तर हों।

(अनिल कुमार)
आतिरिक्त जिला
एव अति. जिला
नीमकाथाना



अंतरण नोटिफिकेशन 1958 के धारा 31 (6) के तहत नोटिस जारी किया गया है। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि जमीनदार द्वारा जंगल भूमि के संरक्षण में उपलब्ध कराए गए सीमाधोपुर में चारा / पशुधारा पट्टा बनाया गया है जिसकी प्रति पत्रावली में शामिल है। मजबूती से शामिल रिपोर्ट दिनांक 14-11-2013 में अंतिम किया है कि जमीनदार द्वारा बंजर भूमि जंगल 2304/ डि.एम. चारागाह से अतिक्रमण हुआ लिया है जो तहसीलदार सीमाधोपुर द्वारा अंकित किया है। एच.नं. 9312 पर विद्यमान कमेटी के दिनांक 24-6-99 के विधायक किया गया है। जिसकी फोटो अति संलग्न है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हुआ जा चुका है जिस बावत जमीनदार द्वारा एक पशुधारा पट्टा भी बनाया गया है। न्यायालय तहसीलदार सीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय में गिरफ्तारी पत्र जारी करने हेतु कमेंट दर्ज है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। अतिलेख न्यायालय तहसीलदार - सीमाधोपुर द्वारा जमीनदार को तलब करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया जो चारा 31 (6) के तहत जारी किया गया है। परन्तु न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित दिनांक 19-9-2013 को किया गया है जो नोटिस जारी किया जिसके अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया। अतिलेख न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिसके अवलोकन से पाया गया है कि निर्णय किस सेशन व किस धारा के तहत पारित किया गया है जो स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार जो प्रथम में नोटिस जारी किया गया एवं पत्रावली में अन्तिम निर्णय पारित किया गया जो दोनों विरोधाभासी है। जिस धारा के तहत नोटिस जारी किया गया